

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)  
पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या: 48/2024/ सरफैसी

आधार हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड मुख्य कार्यालय 2nd फ्लोर, जेवीटी टावर, 8th  
मैन रोड, एस आर नगर, बैंगलोर, कर्नाटक

बनाम

.....प्रार्थी

1. श्रीमती विजय लक्ष्मी (कानूनी उत्तराधिकारी स्व. श्री राम चन्द्र पुत्र श्री ओंकार दास)  
पत्नी स्व. श्री ओंकार दास जाति वैष्णव निवासी वार्ड सं.-15, फतह नगर, तहसील  
मावली, जिला उदयपुर राज. पिन. नम्बर-313205
2. श्री घनश्याम दास पुत्र श्री ओंकार दास वैष्णव निवासी वार्ड सं.-15, फतह नगर,  
तहसील मावली, जिला उदयपुर राज. पिन. नम्बर-313205
3. श्री नारायण सिंह चौहान पुत्र श्री राम सिंह जाति राजपुत निवासी वार्ड सं.-10,  
तहसील मावली, जिला उदयपुर राज. पिन. नम्बर-313205

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति  
हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002



उपस्थित: श्री रवि चितौडा अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 05-03-2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 7,21,078/- रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (श्रीमती विजय लक्ष्मी (कानूनी उत्तराधिकारी स्व. श्री राम चन्द्र पुत्र श्री ओंकार दास) पत्नी स्व. श्री ओंकार दास जाति वैष्णव की सम्पति जो खसरा सं.-626, ग्राम मानखण्ड, ग्राम पंचायत मोरठ, तहसील मावली, जिला उदयपुर राजस्थान पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है, जिसका माप लगभग 560 वर्गफीट है। चतुर्सीमा -पूर्व में-आम रास्ता, पश्चिम में-श्री कालू दास का बाड़ा, उत्तर में-सामुहिक भवन, चार भुजा मंदिर, दक्षिण में- श्री धर्मदास का घर) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 13.09.2023 तक 7,32,462/- रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन

जिला कलक्टर  
उदयपुर

रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 7,21,078 /-रुपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 13.09.2023 तक 7,32,462/- रुपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्क्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसोटेस एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्क्योरिटी इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयों को अन्य तथ्यों के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (श्रीमती विजय लक्ष्मी (कानूनी उत्तराधिकारी स्व. श्री राम चन्द्र पुत्र श्री ओंकार दास) पत्नी स्व. श्री ओंकार दास जाति वैष्णव की सम्पत्ति जो खसरा सं.-626, ग्राम मानखण्ड, ग्राम पंचायत मोरठ, तहसील मावली, जिला उदयपुर राजस्थान पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका माप लगभग 560 वर्गफीट है। चतुर्सीमा -पूर्व में-आम रास्ता, पश्चिम में-श्री कालू दास का बाड़ा, उत्तर में-सामु. भवन, चार भुजा मंदिर, दक्षिण में- श्री धर्मदास का घर) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



  
(अरविन्द कुमार पोसवाल )  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
उदयपुर